

# प्रेस नोट थाना बाँसगांव दिनांक 14.09.2023

## नाबालिग का व्यपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष बांसगांव के नेतृत्व में, उ०नि० राम सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०-500/2023 धारा-363,366,376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त देवेन्द्र कुमार राय पुत्र रामकेश्वर राय निवासी सुमेरी छापर थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया गया एवं मुकदमा से संबंधित व्यपहृता को बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **नाम पता अभियुक्त-**

देवेन्द्र कुमार राय पुत्र रामकेश्वर राय निवासी सुमेरी छापर थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु०अ०सं०-500/2023 धारा-363,366,376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट

### **गिरफ्तारी में शामिल टीम-**

- 1-उ०नि० राम सिंह चौकी प्रभारी हरनही, थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
- 2- का० राजेश पाठक, थाना बाँसगांव, जनपद गोरखपुर
- 3- म०का० वन्दना यादव, थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर